न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर

बइजलास डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)

अनुवान गोपालराम बनाम ईशरराम आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

एवं धारा 131, 136 एल. आर. एक्ट एण्ड लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स, 1957

वादपत्र सं. 71/2024

निर्णय दिनांक 11.12.2024

गोपालराम मेघवाल पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी नाहरसरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू

—वादी

बनाम्

1. ईशरराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी नाहरसरा तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भानीपुरा जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

उपस्थिति —

1. श्री रामनिवास सारण एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री अजय कुमार सारण एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं0 2

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि गत ख0नं0 64, 147/414, 196, 225/323 तादादी क्रमशः 35.02, 05.08, 18.11, 20.00 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 79.01 बीघा रोही मौजा नाहरसरा तहसील सरदारशहर वादी, प्रतिवादी सं० 1 एवं उनके भाईयों भोलूराम, मनीराम, भादरराम, मोहनराम, रूपाराम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है। वादगत उपर्युक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में अभिलेखित खातेदार काबिज काश्तकारों ने आपसी सहमति से अपनी खातेदारी भूमि में के हिस्सों के मुताबिक राजस्व कैम्प मालकसर में मुश्तरका खाता का स्वैच्छा तकासमा करवाने के लिए आवेदन दिनांक 05.12.2010 को हल्का पटवारी से तैयार करवाकर तहसीलदार सरदारशहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिन्होंने सहखातेदारान की आपसी सहमति के मुताबिक मुश्तरका खाता तकसीम करने का आदेश दिनांक 05.12.2010 को पारित कर पटवारी हल्का को तकासमा के मुताबिक इंतकाल दर्ज कर नक्शे में तरमीम करवाने को आदेशित किया गया है। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08.12.2010 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कृषि भूमि गत ख0नं0 64, 147/414, 196, 225/323 तादादी क्रमशः 35.02, 05.08, 18.11, 20.00 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 79.01 बीघा रोही मौजा नाहरसरा तहसील सरदारशहर का विभाजन कर अलग—अलग नक्शा एवं रिकॉर्ड वादी, प्रतिवादी सं० 1 एवं उनके [illegible]लूराम, मनीराम, भादरराम, मोहनराम, रूपाराम मध्य तैयार कर राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] सही दर्ज तस्दीक किया गया था। जिसके मुताबिक ख0नं0 196 मीन में से [illegible] भूमि वादी के हिस्से में तथा ख0नं0 196 मीन की पश्चिमी पासे की भूमि प्रतिवादी सं० [illegible] के हिस्से पांति में रखी गई [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार नक्शा किश्तवार तरमीम किया गया। जिसके अनुसार ही पक्षकारान वाद का कब्जा काश्त विभाजन के पश्चात निरन्तर चला आ रहा है।

वर्तमान में सेटलमेंट के दौरान वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 की कृषि भूमियों के नये खसरा नम्बर कायम किये गये जिनके अनुसार कृषि भूमि ख0नं0 397 रकबा 2.8500 हैक्टेयर रोही नाहरसरा तहसील भानीपुरा वादी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर कायम हुए तथा कृषि भूमि ख0नं0 396 रकबा 1.8500 हैक्टेयर एवं ख0नं0 437 रकबा 1.0100 हैक्टेयर रोही नाहरसरा तहसील भानीपुरा प्रतिवादी सं० 1 की कृषि भूमि के खसरा नम्बर कायम हुए। लेकिन सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा वादगत कृषि भूमि गत ख० नं0 617/196 के नये ख0नं0 397 कायम कर राजस्व नक्शा तरमीम करते समय गलती से वादी की खातेदारी की कृषि भूमि ख० नं० 397 को पूर्वी पासे में तरमीम करने के बजाए पश्चिमी पासे की तरफ एवं उतरी–पूर्वी दिशा में लम्बाई में गलत तरमीम कर दिया तथा प्रतिवादी सं० 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि गत ख० नं0 616/196 के नये ख०नं० 396 कायम कर राजस्व नक्शा तरमीम करते समय गलती से ख०नं० 396 को पश्चिमी पासे में तरमीम करने के बजाए पूर्वी दक्षिणी पासे की तरफ गलत तरमीम कर दिया। वादी पूर्व में तरमीम किये गये राजस्व नक्शा व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा को दुरूस्त करवाकर नक्शा तरमीम करवाना चाहता है। जिसकी घोषणा करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादगत कृषि भूमियों का विभाजन के मुताबिक राजस्व अभिलेखों के वादी, प्रतिवादी सं० 1 सहित अन्य सहखातेदारान की खातेदारी हिस्सों के मुताबिक एवं आपसी विभाजन के अनुसार रकबा सही दर्ज किया गया एवं नक्शा किश्तवार में तरमीम सहमति से विभाजन के मुताबिक एवं मौके की कब्जा काश्त के अनुसार सहखातेदारों के हिस्से पांति के मुताबिक की गई। लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान वादगत कृषि भूमि ख० नं० 396 एवं ख० नं० 397 के नक्शा किश्तवार में सहबन से लिपिकीय त्रुटिवश तरमीम आपसी सहमति से किये गये विभाजन के मुताबिक तथा वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से एवं मौका की कब्जा काश्त के मुताबिक नहीं की गई और नक्शा में त्रुटिवश गलत तरमीम कर दी गई।

वादगत कृषि भूमि ख० नं0 397 तादादी 2.8500 हैक्टेयर, ख०नं० 396 तादादी 1.8500 हैक्टेयर भूमि के आपसी सहमति से हुए विभाजन के मुताबिक दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित भूमि वादी के हिस्से पांति, कब्जा काश्त में हमेशा से रही है तथा नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से पांति कब्जा काश्त में हमेशा से चली आ रही है। नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित भूमि ख० नं0 397 में वादी की ढाणी एवं मकान बने हुए तथा सिंचाई हेतु निर्मित ट्युबवैल बनाया हुआ मौके पर मौजूद है। वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे व लाल रंग से प्रदर्शित भूमि को मौके पर काबिज होकर [illegible] रहने से वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 ने इसी अनुसार आपसी सहमति से विभाजन किया था, जिसके अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 की मौके पर कब्जा काश्त चली आ रही है तथा वादी को कानूनन अधिकार हासिल है कि वादगत कृषि भूमियों में के अपने खातेदारी हिस्से के मुताबिक अपने अधिकारों की घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

अदालतवाला से करवाकर नक्शा किश्तवार में सहबन से हुए लिपिकीय त्रुटिवश की गई गलत तरमीम को मौके की कब्जा काश्त एवं आपसी सहमति से हुए विभाजन के मुताबिक नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में वादी की हिस्सा भूमि को हरे रंग से प्रदर्शितानुसार एवं प्रतिवादी सं० 1 की हिस्सा भूमि को लाल रंग से प्रदर्शितानुसार नक्शा किश्तवार में हुई गलती को दुरूस्त करवाकर दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है।

वादी कृषि पेशा व्यक्ति होने से वादी को नक्शा किश्तवार में आपसी सहमति से हुए विभाजन के मुताबिक एवं मौके की कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम नहीं होने का कोई ईल्म नहीं हुआ और सहमति से विभाजन के मुताबिक एवं मौके की कब्जा काश्त के अनुसार ही नक्शा तरमीम होना मानते हुए वादी काश्त करते रहे, वादी ने पटवारी हल्का से वादगत कृषि भूमि के नक्शा किश्तवार की प्रमाणित प्रति हासिल की तो वादी को गलत तरमी बाबत ईल्म हुआ तो वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को साथ चलकर गलत तरमीम को दूरूस्त करवाने का कहा एवं कहलवाया तो प्रतिवादी सं० 1 ने तरमीम गलत होना स्वीकारते हुए भी साथ चलकर दूरूस्ती करवाने से बमुकाम नाहरसरा दिनांक 30.04.2024 को साफ इनकार कर दिया लिहाजा यही तिथि बिनाए मुखास्मत दावा हाजा है एवं बिनाए दावा वादी वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने से हर समय हासिल है। लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान वादगत कृषि भूमि ख० नं० 396 एवं ख० नं० 397 के नक्शा किश्तवार में सहबन से लिपिकीय त्रुटिवश तरमीम आपसी सहमति से किये गये विभाजन के मुताबिक तथा वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से एवं मौका की कब्जा काश्त के मुताबिक नहीं की गई और नक्शा में त्रुटिवश गलत तरमीम कर दी गई।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह घोषित किया जावे कि रोही नाहरसरा तहसील भानीपुरा में स्थित कृषि भूमि ख० नं0 397 तादादी 2.8500 हैक्टेयर भूमि का वादी नजरी नक्शी एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शितानुसार खातेदार काबिज काश्तकार हैं तथा ख० नं० 396 तादादी 1.8500 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी सं० 1 नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से प्रदर्शितानुसार खातेदार काबिज काश्तकार होने से मौके की कब्जा काश्त के मुताबिक नक्शा किश्तवार में तरमीम करवाने के अधिकारी होने से लिपिकीय त्रुटिवश हुई गलत तरमीम को दूरूस्त करवाकर नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे एवं लाल रंग से प्रदर्शितानुसार नक्शा किश्तवार में तरमीम कर रिकॉर्ड दूरूस्त किया जावे तथा वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के मुताबिक नक्शा किश्तवार में नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित भूमि वादी के हिस्से में एवं लाल रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से में नक्शा किश्तवार में दूरुस्ती कर दर्ज करने को प्रतिवादी सं० 2 को आदेशित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से एडवोकेट श्री अजय कुमार सारण [illegible] व इकबाल जबाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया [illegible] पेशकार [illegible] फर्द [illegible] काम पर प्रकरण में राज्य पक्ष का हित प्रभावित नहीं होने का अंकन किया [illegible] कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा वाद के समर्थन में बतौर साक्षी AW-1 गोपालराम वादी का शपथ पत्र पेश किया गया और अपनी साक्ष्य लेखबद्ध करवाई और राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेज पेश किये। दौराने विचारण वादी की ओर से निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये :–

प्रदर्श–1 जमाबन्दी खसरा नम्बर 397 संवत 2076–79
प्रदर्श–2 खसरा नक्शा खसरा नम्बर 397
प्रदर्श–3 जमाबन्दी खसरा नम्बर 396, 437 संवत 2076–79
प्रदर्श–4 खसरा नक्शा खसरा नम्बर 396, 437
प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल संवत 2072–2092
प्रदर्श–6 नक्शा किश्तवार मौजा नाहरसरा
प्रदर्श–7 नामान्तरण रजिस्टर ग्राम नाहरसरा

पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई। बहस पक्षकारान वाद सुनी गई। वादी ने दौराने बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया गया और कथन किया कि कृषि भूमि गत ख0नं0 64, 147/414, 196, 225/323 तादादी क्रमशः 35.02, 05.08, 18.11, 20.00 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 79.01 बीघा रोही मौजा नाहरसरा तहसील सरदारशहर वादी, प्रतिवादी सं० 1 एवं उनके भाईयों भोलूराम, मनीराम, भादरराम, मोहनराम, रूपाराम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है। वादगत उपर्युक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में अभिलेखित खातेदार काबिज काश्तकारों ने आपसी सहमति से अपनी खातेदारी भूमि के हिस्सों के मुताबिक राजस्व कैम्प मालकसर में मुश्तरका खाता का स्वैच्छा तकासमा करवाने के लिए आवेदन दिनांक 05.12.2010 को हल्का पटवारी से तैयार करवाकर तहसीलदार सरदारशहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिन्होंने सहखातेदारान की आपसी सहमति के मुताबिक मुश्तरका खाता तकसीम करने का आदेश दिनांक 05.12.2010 को पारित कर पटवारी हल्का को तकासमा के मुताबिक इंतकाल दर्ज कर नक्शे में तरमीम करवाने को आदेशित किया गया है। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08.12.2010 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कृषि भूमि गत ख0नं0 64, 147/414, 196, 225/323 तादादी क्रमशः 35.02, 05.08, 18.11, 20.00 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 79.01 बीघा रोही मौजा नाहरसरा तहसील सरदारशहर का विभाजन कर अलग–अलग नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक कब्जा काश्त सही दर्ज तस्दीक किया गया था। जिसके मुताबिक ख0नं0 196 मीन में से पूर्वी पासे की भूमि वादी के हिस्से में तथा ख0नं0 196 मीन की पश्चिमी पासे की भूमि प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से पांति में रखी गई और उसी अनुसार नक्शा किश्तवार तरमीम किया गया। जिसके अनुसार ही पक्षकारान वाद का कब्जा काश्त विभाजन के पश्चात निरन्तर चला आ रहा है।

वादगत कृषि भूमि ख० नं0 397 तादादी 2.8500 हैक्टेयर, ख०नं० 396 तादादी 1.8500 हैक्टेयर भूमि के आपसी सहमति से हुए विभाजन के मुताबिक दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित भूमि वादी के हिस्से पांति, कब्जा काश्त में हमेशा से रही है तथा नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से पांति कब्जा काश्त में हमेशा से चली आ रही है। न[illegible] एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित भूमि ख० नं0 397 में वादी की ढाणी एवं मका[illegible] हुए [illegible] सिंचाई हेतु निर्मित ट्युबवैल बनाया हुआ मौके पर मौजूद है। वादी तथा प्रतिवादी सं[illegible]क्श्चर 'ए' में हरे व लाल रंग से प्रदर्शित भूमि को मौके पर काबिज होकर काश्त करते रहने से वादी तथा प्रतिवादी सं० 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

ने इसी अनुसार आपसी सहमति से विभाजन किया था। जिसके अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 की मौके पर कब्जा काश्त चली आ रही है। इसलिए वादी को कानूनन अधिकार हासिल है कि वादगत कृषि भूमियों में के अपने खातेदारी हिस्से के मुताबिक अपने अधिकारों की घोषणा अदालतवाला से करवाकर नक्शा किश्तवार में सहबन से हुए लिपिकीय त्रुटिवश की गई गलत तरमीम को मौके की कब्जा काश्त एवं आपसी सहमति से हुए विभाजन के मुताबिक नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में वादी की हिस्सा भूमि को हरे रंग से प्रदर्शितानुसार एवं प्रतिवादी सं० 1 की हिस्सा भूमि को लाल रंग से प्रदर्शितानुसार नक्शा किश्तवार में हुई गलती को दुरूस्त करवाकर दर्ज करवाने का निवेदन वकील वादी एवं प्रतिवादी ने किया। वादीगण के तथ्यों का खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के विचारण में यह तथ्य उभर कर आया कि पक्षकारान वाद के खेतों के नक्शो को मौके व कब्जा काश्त के विपरित तरमीम किया गया है। यह तथ्य वादीगण प्रमाणित करने में सफल रहे है।

वकील वादी, वकील प्रतिवादी सं0 1 व पैरोकार राज के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वादगत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख जमाबन्दीयों व नक्शों को अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि पक्षकारान वाद के खेतों के नक्शो की आकृति व संरचना सेटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा राजस्व नक्शा तरमीम के दौरान मौके के विपरीत तरमीम कर दी है। फलस्वरूप वादी वादगत कृषि भूमि के नक्शों को दुरूस्त करवाकर सही तरमीम करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि वादी कृषि भूमि खसरा नम्बर 397 तादादी 2.8500 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 01 कृषि भूमि रोही ग्राम नाहरसरा तहसील नाहरसरा के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व नक्शा की तरमीम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की तरमीम कब्जा काश्त व मौके के विपरित अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाकर नक्शा एनेक्श्चर **"ए"** में प्रदर्शितानुसार नक्शा तरमीम किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की मौके पर वास्तविक कब्जा–काश्त के अनुसार नक्शा तरमीम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रखी जाती है। नक्शा एनेक्श्चर **"ए"** निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:41:51 IST

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व बइजलास डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)

अनुवान गोपालराम बनाम ईशरराम आदि

वाद पत्र सं. 71/2024

अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट 1955 एवं 131, 136 एल आर एक्ट 1957

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अमरचन्द सारण एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री अजय कुमार सारण, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वादी कृषि भूमि खसरा नम्बर 397 तादादी 2.8500 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 01 कृषि भूमि रोही ग्राम नाहरसरा तहसील नाहरसरा के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व नक्शा की तरमीम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की तरमीम कब्जा काश्त व मौके के विपरित अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाकर नक्शा एनेक्श्चर **"ए"** में प्रदर्शितानुसार नक्शा तरमीम किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की मौके पर वास्तविक कब्जा–काश्त के अनुसार नक्शा तरमीम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रखी जाती है। नक्शा एनेक्श्चर **"ए"** निर्णय का भाग रहेगा।

.....

.....बीज ..... मुबलिग .....

.....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....

..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....

..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

मोहर

डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	150	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	स्टाम्प	00	00
मुतफर्रिक	03	00			
मिजान	158	00		04	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:41:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner